न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 07 / 2017

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार

. ...प्रार्थी

बनाम

मैसर्स बाबूराम ग्रिट उधोग व अन्य

......अप्रार्थीगण

स्टोन क्रेशर हेतु किये गये भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही को निरस्त किये जाने के बाबत।

निर्णय **दिनांक 31.1.2019**

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार कांमा का पत्र क्रमांक /रीडर/100 दिनांक 22/10/19 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कांमा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार कांमा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि '' खान विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 27/01/05 के द्वारा बृज चौरासी कोस के निर्धारण मार्ग के दोनों ओर 500–500 मीटर का निर्धारण किये जाने पर उस सीमा में आने वाले 18 स्टोन क्रेशर्स का भूमि रूपान्तरण आदेश माननीय राजस्व मंत्री महोदय के निर्णय दिनांक 16/06/2017 से निरस्त किया गया है व श्रीमान उक्त 8 प्रकरण भी 18 प्रकरणों में शामिल हैं।'' अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कांमा के अनुसार प्रकरण में अब कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(डा.आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर